

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड महिला विकास समिति
तेजस्विनी परियोजना

राज्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई, तेजस्विनी परियोजना, प्रथम तल्ला, अभियंत्रण छात्रावास-II, सेक्टर-III, धुर्वा, राँची- 834004

तेजस्विनी परियोजनान्तर्गत जिला संसाधन क्रियान्वयन इकाई (DRIU) में विभिन्न पदों के विरुद्ध संविदा आधारित चयन हेतु विज्ञापन।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से राज्य के 17 जिलों में तेजस्विनी परियोजना का क्रियान्वयन विभाग की स्वायत्त इकाई झारखण्ड महिला विकास समिति के माध्यम से किया जा रहा है।

तेजस्विनी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण के चार जिलों यथा: रामगढ़, दुमका, खूँटी एवं चतरा में जिला संसाधन क्रियान्वयन इकाई की स्थापना की गई है। जिला संसाधन क्रियान्वयन इकाई के विभिन्न पदों के विरुद्ध संविदा आधारित चयन के लिये, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र०	पद का नाम एवं रिक्रितियों की संख्या	निर्धारित अर्हता	आयु सीमा (वर्ष)	समेकित मासिक परिलब्धि
1.	जिला समन्वयक पदों की संख्या-03 (दुमका-1 , खूँटी-1, चतरा -1)	शैक्षणिक योग्यता : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रामीण विकास/ मनोविज्ञान/ ग्रामीण प्रबंधन/ सामाजिक कार्य/ समाजशास्त्र/ लोक प्रशासन/ अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष योग्यता। (ii) कम्प्यूटर में एम.एस. ऑफिस तथा इन्टरनेट की जानकारी। अनुभव: (i) राज्य/जिला स्तर पर सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में पर्यवेक्षक के पद पर परियोजना के प्रबंधन में न्यूनतम 04 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।	25-35	₹ 32,500/-
2.	मुख्य प्रशिक्षक (सेतु शिक्षा-सह-जीवन कौशल) पदों की संख्या -01 (चतरा-1)	शैक्षणिक योग्यता : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रामीण प्रबंधन/ सामाजिक कार्य/ ग्रामीण विकास/ मनोविज्ञान/ लोक प्रशासन/ अर्थशास्त्र / समाजशास्त्र/ लोक स्वास्थ्य/ सामाजिक विकास में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष योग्यता। (ii) कम्प्यूटर में एम.एस. ऑफिस तथा इन्टरनेट की जानकारी। अनुभव: (i) सामाजिक अथवा ग्रामीण विकास परियोजनाओं में जीवन कौशल / सेतु शिक्षक के रूप में प्रशिक्षक का 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य।	23-35	₹ 30,700/-

आवेदन हेतु निर्देश:

1. उक्त पदों के आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं Terms of Reference (ToR) महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार की वेबसाइट www.socialwelfarejhar.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन करने के पूर्व वेबसाइट में उपलब्ध पद वार Terms of Reference (ToR) अवश्य पढ़ लें।
2. आवेदन-पत्र मात्र विहित प्रपत्र में ही स्वीकार किये जायेंगे। विहित प्रपत्र से अलग रूप से समर्पित आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।
3. आवेदन-पत्र के साथ आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों, अनुभव प्रमाण-पत्रों की पठनीय प्रतियाँ स्व-अभिप्रमाणित कर अनिवार्यतः संलग्न करें।
4. बिंदु-3 में अंकित प्रमाण-पत्रों में से यदि कोई प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न नहीं है, तो इसका लाभ अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा, यद्यपि आवेदन के विहित-प्रपत्र में इसे अंकित किया भी गया हो।
5. शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत मैट्रिक से प्रारंभ कर अद्यतन योग्यता अंकित की जाये एवं संबंधित प्रमाण-पत्र, यथा: बिंदु-3, संलग्न किये जायें।
6. कार्य-अनुभव के लिये नियोक्ता (Employer) के द्वारा निर्गत एवं हस्ताक्षरित पत्र/प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। तदनुसार कार्य-अनुभव से संबंधित पत्र/प्रमाण-पत्र की प्रतियाँ यथा: बिंदु-3, संलग्न किये जायें।
7. आयु की गणना के लिये दिनांक 01.07.2018 का संदर्भ लिया जायेगा। तदनुसार अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2018 को आयु सीमा में होनी चाहिये।
8. आवेदन-पत्र बंद लिफाफे में मात्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर के माध्यम से निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें :-

परियोजना निदेशक,
झारखण्ड महिला विकास समिति
प्रथम तल्ला, अभियंत्रण छात्रावास-II
सेक्टर-III, धुर्वा, राँची- 834004

9. आवेदन-पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में "तेजस्विनी परियोजना अन्तर्गत जिला संसाधन क्रियान्वयन इकाई में(आवेदित पद का नाम) हेतु आवेदन" अंकित करें।
10. आवेदन पत्र दिनांक 27.08.2018 को 5:00 बजे अपराहन तक ऊपर अंकित बिंदु-8 में दिये गये पते पर अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिये। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा एवं उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
11. निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

ह0/-

(परियोजना निदेशक)
झारखण्ड महिला विकास समिति, राँची।